दफतर जिला शिक्षा अफसर (अ: सि:)–कम–जिला प्रौजेक्ट डायरेक्टर, सर्व शिक्षा अभियान, सैक्टर – 54, फेज – 2, साहिबजादा अजीत सिंह नगर।

फोन न0 0172–2274100 ई–मेलः– deossamohali@gmail.com

अंतका

फार्म–II

सेवा में,

मैनेजर / चेयरपरसन / स्कत्तर

सिटी गलोबल स्कूल,

जीकरपुर, स.अ.स. नगर।

पत्र न0 आर0टी0ई0 / मान्यता / 2016 / 011 दिनांक 08.03.2016

विषयः– **''बच्चों का मुफ्त और लाजमी शिक्षा का अधिकार एक्ट–2009' की धारा 18 के मंतव के लिए'' पंजाब बच्चों को मुफ्त और लाजमी–शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 11 के उप नियम (4) अधीन आप जी के स्कूल को मान्यता पत्र।**

श्रीमान / श्रीमति जी,

आप की प्रतिबेनती और आप के ओर से दी गई स्वयं घोषणा के आधार पर में सिटी गलोबल स्कूल, जीरकपुर को पहली कक्षा से कक्षा आठवीं तक मान्यता भेजता हूं।

उपरोकत मान्यता नीचे दी गई शर्तों के आधार पर है किः–

1. स्कूल प्रबन्धन को यह निजी जिम्मेवारी होगी की मयाद अनुसार स्कूल का बिल्डिंग सेफ्टी र्स्टीफिकेट ओर फायर सेफ्टी र्स्टीफिकेट इस दफतर में जमा करवाया जाए। लापरवाह की हालत में आप के स्कूल की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया आरम्भ की जाएगीं
2. मान्यता की प्रवानगी बढ़ोतरी के योग्य नहीं है ओर किसी भी हालत में आठवीं कक्षा से आगे की मान्यता / अैफीलिऐशन से लागू नहीं होती।
3. उक्त मान्यता आप द्वारा दी गई स्वयं–घोषणा के आधार पर है अगर घोषणा में दर्ज मदों में से कोई मद गलत या झूठा पाया जाता है तो यह मान्यता रद्द करने की कारवाई शुरू कर दी जाएगी।

City Global School Management Society(Regd.)

President

Notary Public, KARNAL
Naresh Kumar
R.No. 1123
Dt. of Exp. 22-10-2018
Govt of India

4. स्कूल ''सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 (अैक्ट न0 21, 1960)' अधीन रजिस्ट्र की सोसायटी द्वारा या समय–समय पर लागू किसी कानून अधीन स्थापित ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा है।
5. सोसायटी की रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण, अगर जरूरी हो, यकीनी बनाया जाएगा।
6. स्कूल किसी व्यक्ति, समूह या व्यक्ति–समूह या किसी ओर के निजी लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
7. स्कूल का लेखा किसी ऑडिट–लेखाकार द्वारा ऑडिट और प्रमाणित किया और नियमों के अनुसार लेखों की उचित स्टेटमैंटों को तैयार किया जाएगा।
8. स्कूल पहली कक्षा में कक्षा की कुल संख्या का 25 प्रतिशत, पड़ोस के कमजोर तबके और सुविधा रहित समूह से संबंधित बच्चों को दाखिल करेगा और मुफ्त और लाजमी शिक्षा, इसके पूरी होने तक प्रदान करेगा। अगर स्कूल प्री–प्राईमरी शिक्षा प्रदान करता है, यही शर्ते लागू होगी।
9. गद्यांश 7 में दरसाए गए बच्चों के लिए, एक्ट की धारा 12 के उपबंध 2 अनुसार स्कूल को खर्चे की प्रतीपूर्ति की जाएगी। यह प्रतीपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को अलग बैंक–खाता रखना होगा।
10. स्कूल कोई केपीटेशन फीस नहीं लेगा और बच्चे या उसके माता–पिता या उस के सरप्रस्तों को किसी छांटी–प्रक्रिया में नहीं डालेगा।
11. स्कूल किसी भी बच्चे को नीचे लिखे कारणों से दाखिन देने से इन्कार नहीं करेगा।

    क. किसी बच्चे का आयु का सबूत न होना।

    ख. किसी भी बच्चे द्वारा बढ़ाए गए समय में या बढ़ाए गए समय के बादल दाखिला मांगना या

    ग. धर्म, जात, नस्ल या जन्म–स्थान या इनमें से कोई भी कारणं

12. स्कूल यह यकीन बनाए रखेगा कि:–
    क. दाखिल किए किसी भी बच्चे को कक्षा में वापिस नहीं रखा जाएगा या स्कूल में पहली शिक्षा पूरी होने के पहले स्कूल से निकाला नहीं जाएगा।
    ख. किसी भी बच्चे को शारीरिक–दंड या मानसिक–प्रेशानी का भागीदार नहीं बनाया जाएगा।
    ग. पहली शिक्षा पूरी होने तक बच्चे को बोर्ड की कोई भी परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
    घ. पहली शिक्षा संपूर्ण करने वाले हर बच्चे को नियम 21 अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।
    ड. एक्ट के उपबंधों अनुसार अपंग/विषेश जरूरत वाले बच्चों की स्मूलीयत की जाएगी।

City Global School Management
Society(Regd.)
President

Notary Public, KARNAL
Naresh Kumar
R.No. 1023
Dt. of Exp.
22-10-2018
Govt of India

च. एक्ट की धारा 23 के उप नियम (1) अनुसार कम से कम शिक्षा योग्यताएं पूरी करते अध्यापक ही नियुक्त किए जाएगे।

छ. अध्यापक अपने आप को किसी भी प्राईवेट अध्यापण क्रिया में मशरूफ नहीं करेंगे।

13. स्कूल उचित अथॉरिटी द्वारा निर्धारित विषयों के आधार पर पाठयक्रम को अपनाएगा।
14. स्कूल एक्ट की धारा 19 अधीन दरसाई शर्तें और मियादों की पालना करेगा।
15. स्कूल के इस नाम पर स्कूल ईमारत के अंदर या बाहय कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।
16. स्कूल भवन या और ढांचा या मैदान केवल पढ़ाई और योग्य विकास के लिए उपयोग किया जाएगा।
17. स्कूल समय–समय पर डायरेक्टर–स्कूल एजूकेशन या जिला शिक्षा अफसर को जरूरतमंद सूचना और जानकारी उपलब्ध करवाएगा और राज सरकार स्थानक अथॉरिटी की और से स्कूल की मान्यता को बनाए रखने के लिए जरूरतमंद शर्तें या स्कूल संचालन की कमीयों को दूर करने के लिए जारी हिदायतों की पालना करेगा।
18. आप जी के स्कूल को प्रदान किया मान्यता कोड न0 आर0टी0ई0(मान्यता)–आर0टी0ई0/2016/011 (यह कोड नोट कर लिया जाए और भविष्य में इस दफ्तर से होने वाले किसी भी पत्र–विहार के लिए उपयोग किया जाऐ।

जिला शिक्षा अफसर (अः सिः)

साहिबजादा अजीत सिंह नगर।

City Global School Management Society(Regd.)

President

TRANSLATED From Punjabi to Hindi ATTESTED

Notary Public Karnal

Notary Public, KARNAL
Naresh Kumar R.No 2023 Dt. of Exp. 22-10-2018
Govt of India

09 OCT 2017